IV 95

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

M 742788

उत्तर प्रदे ADESH

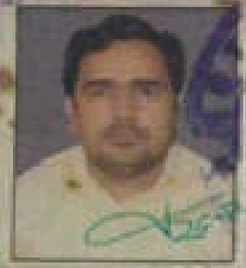

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

यह न्यास विलेख आज वर्ष 2011 के सातवें माह के 25.07.2011 दिवस को शशिकान्त सिंह वयस्क पुत्र श्री राम बरन सिंह निवासी मौ0- परमानन्दपुर उमरपुर हरिबन्धनपुर परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-जौनपुर द्वारा निर्मित और निष्पादित किया गया।

यह कि न्यास निष्पादक एक न्यास राम बरन सिंह शिक्षण संस्थान जौनपुर नाम से अपने पूज्य पिता श्री की स्मृति में स्थापित कर रहा है।

यह कि निष्पादक यह घोषित करता है कि राम बरन सिंह शिक्षण संस्थान जौनपुर एक न्यास जिसकी स्थापना के लिए अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार से स्वेच्छापूर्वक, 50,000 रुपये में समर्पित करता हूँ। जो पूर्णतः उपरोक्त न्यास का धन होगा और न्यासी मण्डल उस न्यास के लिए धारण करेगा।"

यह कि इस न्यास का स्थाई पता मौ0-परमानन्दपुर, उमरपुर हरिबन्धनपुर परगना-हवेली तहसील-सदर शहर व जनपद जौनपुर है।

1. ट्रस्ट का नाम - राम बरन सिंह शिक्षण संस्थान
2. ट्रस्ट का पता - परमानन्दपुर, पो0-कचहरी, जिला-जौनपुर।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. ट्रस्ट का उद्देश्य - ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. यह न्यास प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर, स्तर तक हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू के माध्यम के विद्यालय की स्थापना) की शिक्षा तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर सम्बन्धी शिक्षा, अभियंत्रण शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और हर प्रकार की शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयास और कार्य करेगा।

SKS

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 124480

2. यह कि यह न्यास प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर सम्बन्धी शिक्षा, अभियंत्रण शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और हर प्रकार की शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयास और कार्य करेगा।
3. यह कि यह न्यास आर्थिक, मानसिक शारीरिक रूप से असमर्थ और असहाय लोगों ने जीवन यापन और मानवता के विकास के लिए कार्य करेगा।
4. यह कि यह न्यास दलित पीड़ित और असमर्थ लोगों के लिए चिकित्सालय स्थापना और उनकी सहायता आदि की व्यवस्था का कार्य करेगा।
5. यह कि यह न्यास खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए और स्वस्थ और कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए कार्य करेगा।
6. यह कि यह न्यास छात्रवृत्ति देने पुरस्कार देने, आर्थिक सहायता देने का कार्य करेगा।
7. यह कि यह न्यास सामाजिक धार्मिक और कल्याणकारी योजनाएं संचालित करेगा।
8. यह कि यह न्यास छात्रावास, धर्मशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, सूचना केन्द्र आदि स्थापित और व्यवस्थित करेगा।
9. यह कि यह न्यास साहित्यकला और समाज के विकास के लिए अन्य वैध और नियमित कार्यक्रम संचालित करेगा।
10. यह कि यह न्यास सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए व्यापार व्यवसाय उद्योग औरर विकास सम्बन्धी कार्यों को करने हेतु तत्पर रहेगा।
11. यह कि यह न्यास गैर सरकारी संस्थाएं (N.G.O.) स्थापित करने और संचालित करने का कार्य तत्परता से करेगा।
12. यह कि यह न्यास स्थानीय और समाज और प्रदेश और देश के विकास के लिए और शिक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यक और आनुषंगिक कार्यों को करने के लिए तत्पर और प्रयासरत रहेगा।
13. यह कि यह न्यास नवीन तकनीकी उपकरणों द्वारा ग्रामोद्योग शिक्षा का प्रशिक्षण देना।
14. यह कि यह न्यास का चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क सुविधा प्रदान कर लोगों को विभिन्न भयंकर बिमारियों जैसे कैंसर तपेदिक, मलेरिया मोतिया बिन्द, एड्स, पल्स, पोलियो, टीकाकरण तथा हेपेटाइटिस जैसे भयंकर बिमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देना।
15. यह कि यह न्यास का विकलांगों एवं नेत्रहीन लोगों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना तथा

SKG

4355 25.7.11

4354

19 JUL 2011

जौनपुर

न्यास पत्र

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
5,000.00	100.00	20	120.00	800

श्री शशिकान्त सिंह
पुत्र श्री रामबरन सिंह
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी परमानतपुर उमरपुर हरिबंशपुर परO हवेली तहO सदर जिO जौनपुर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/7/2011 समय 11:23AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम अकबाल सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
26/7/2011

Suresh

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी
Suresh
श्री शशिकान्त सिंह
पुत्र श्री रामबरन सिंह
पेशा व्यापार
निवासी परमानतपुर उमरपुर हरिबंशपुर परO
हवेली तहO सदर जिO जौनपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री रामअजोर
पुत्र श्री स्वO सम्पति
पेशा कृषि
निवासी पतहना परO हवेली तहO सदर जिO जौनपुर
व श्री अशोक कुमार सिंह
पुत्र श्री स्वO रामधन सिंह
पेशा दस्तावेज लेखक
निवासी परियावाँ परO हवेली तहO सदर जिO जौनपुर
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम अकबाल सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
26/7/2011

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 124481

नशा मुक्त करना तथा सही दिशा देना।

16. यह कि यह न्यास समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा युवा कल्याण कृषि, श्रम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय सिप्सा, कपार्ट नवार्ड, सुडा, डूडा जिला ग्राम विकास अभिकरण मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित व बाल कल्याण एवं महिला कल्याण कार्यक्रम का संचालन करना।

17. यह कि यह न्यास किसी भी संस्थान से निर्माण, समान सप्लाई, (भवन निर्माण, सड़क निर्माण) का संचालन करना तथा ट्रस्ट को बढ़ावा देना।

5- न्यास का सामान्य प्रबन्ध-

1. यह कि यह न्यास निम्निलिखित न्यासी मण्डल द्वारा संचालित और प्रशासित किया जायेगा।

2. यह कि न्यास निष्पादक निम्नलिखित लोगों को सम्प्रति न्यासी नियुक्त करता है जिन्हें न्यासीमण्डल कहा जायेगा।

1. दुष्यन्त सिंह वयस्क पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम भंगदपुर पोस्ट-गद्दौल, जनपद-जौनपुर।
2. रीना सिंह वयस्क पुत्री शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम भंगदपुर पोस्ट-गद्दौल, जनपद-जौनपुर।
3. लक्ष्मी कान्त सिंह पुत्र रामवरन सिंह निवासीगण परमानतपुर उमरपुर हरिबंधनपुर पोस्ट-कचहरी, जनपद-जौनपुर।
4. मालती सिंह वयस्क पत्नी रामवरन सिंह निवासीगण परमानतपुर उमरपुर हरिबंधनपुर पोस्ट-कचहरी, जनपद-जौनपुर।
5. सूर्यकांत सिंह वयस्क पुत्र रामवरन सिंह निवासीगण परमानतपुर उमरपुर हरिबंधनपुर पोस्ट-कचहरी, जनपद-जौनपुर।
6. यह सुलोचना सिंह वयस्क पत्नी शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम भंगदपुर पोस्ट-गद्दौल-जनपद-जौनपुर
7. यतेन्द्र कुमार सिंह वयस्क पुत्र राजबहादुर सिंह ग्राम-जंगापुर, पोस्ट-माऊपुर, जनपद-जौनपुर

3. यह कि शशिकान्त सिंह वयस्क पुत्र रामवरन सिंह निवासी-परमानतपुर उमरपुर हरिबन्धनपुर पोस्ट-कचहरी जनपद-जौनपुर मुख्य न्यासी होंगे जिन्हें किसी भी प्रस्ताव कोअस्वीकार करने का भी (Veto) अधिकार होगा।

4. यह कि न्यास निष्पादक द्वारा दी गयी उपरोक्त धनराशि और अन्य सम्पत्ति जो दान स्वरूप उपहार स्वरूप अन्तरण से अनुदान से किसी अन्य न्यास से किसी व्यक्ति से संस्था से निगम से संघ से

4356 25-7-11 100

4394

1 9 JUL 2011

न्यौरी

Registration No.: 95 Year : 2,011 Book No. : 4

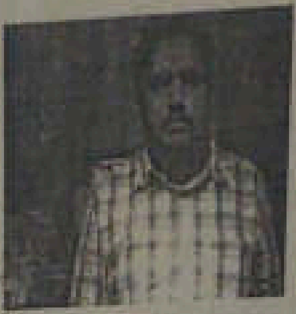

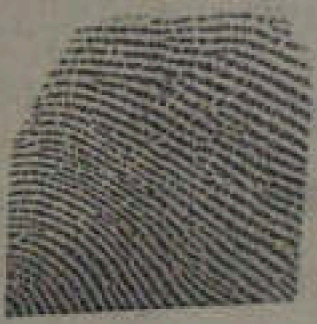

0101 शशिकान्त सिंह

रामबरन सिंह

फत्यानतपुर उमरपुर हरिबनपालपुर परO हवेली तहO सदर जिO जौन.

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 124482

स्थानीय निकाय से सरकार से अथवा न्यास की सम्पत्ति की वृद्धि से या आय से क्षतिपूर्ति से नकद चल अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होगी। वह न्यास की सम्पत्ति होगी और न्यास निधि।

5. यह कि न्यास के कार्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए न्यासी मण्डल न्यासनिधि को बैंक पोस्ट-आफिस व्यवसायिक संस्था राजकीय सुरक्षापत्र बांड शेयर आदि में जमा करेगा और निवेश करेगा।

6. यह कि सभी आय और व्यय का शुद्ध सत्य और उचित प्रबन्धन न्यासी मण्डल करेगा जिसका लेखा परीक्षण चार्टर्ड लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य कराया जायेगा।

7. यह कि न्यासी निधि और न्यास की सभी सम्पत्ति से होने वाली आय के उपयोग की निधि न्यासी मण्डल निर्धारित करेगा।

8. यह कि न्यास निधि से न्यास के लिए सम्पत्ति क्रय की जा सकेगी। बंधक और पट्टे पर और लाइसेंस पर ली जा सकेगी जिसका निर्धारण न्यासी मण्डल करेगा।

9. यह कि न्यासी मण्डल को सम्पत्ति अर्जित और निवेश आदि प्राप्त करने और निवेश करने का अधिकार होगा।

10. यह कि न्यास के कार्य और न्यासी निधि का नियंत्रण और प्रबन्ध का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

11. यह कि मुख्य न्यासी को उपरोक्त सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकार भी होंगे तथा न्यासी मण्डल के किसी भी प्रस्ताव को न्यासहित के किसी भी प्रस्ताव को न्यासहित में प्रतिनिषेधित करने और अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

क- यह कि मुख्य न्यासी को प्रत्येक प्रकार के दान, चन्दा, उपहार, अनुदान, नकद चल और अचल सम्पत्ति के रूप में व्यक्ति संस्था निगम, वित्तीय संस्था, स्थानीय, निकाय राज्य और केन्द्र सरकार अथवा किसी भी अन्य न्यास से प्राप्त करने और स्वीकार करने का अधिकार होगा जो न्यास की सम्पत्ति मान्य होगी जिसे न्यास के कार्य और उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपयोग किया जायेगा।

ख- यह कि न्यास के हित में किसी सम्पत्ति को बिक्री करने विनिमय करने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार न्यासी मण्डल के प्रस्ताव पर मुख्य न्यासी को अपने हस्ताक्षर से उस समय प्रचलित विधि के अनुसार करने का होगा।

ग- यह कि न्यास के नाम से खाता खोलने, बंद करने और संचालन करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 292710

घ- यह कि यथा आवश्यकता कर का भुगतान, न्यास की सम्पत्ति के उचित रखरखाव मरम्मत सुधार और निर्माण न्यास निधि से करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

ङ- यह कि न्यासी मण्डल के प्रस्ताव पर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से न्यास के कार्यों की प्रगति के लिए ऋण लेने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा तथा ऋण अदा को मुख्य न्यासी होगा।

च- यह कि न्यास के लिए वाद प्रस्तुत करने अथवा न्यास के विरुद्ध प्रस्तुतवाद का प्रतिवाद करने और इस सम्बन्ध में कुल विधिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा। कोई भी प्रकरण न्यायालय में नहीं जायेगा।

छ- यह कि न्यासी मण्डल को न्यासियों में से उपसमिति गठित करने और न्यास के कार्यों की प्रगति के लिए यथा आवश्यकता उन्हें अधिकृत करने का अधिकार मुख्य न्यासी की अनुमति से होगा।

ज- यह कि न्यासी मण्डल के प्रस्ताव पर इस न्यास को किसी अन्य न्यास संस्था और संघ में सम्मिलित करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा

झ- यह कि न्यासी मण्डल के प्रस्ताव पर न्यास के कार्यों के उचित सम्पादन और क्रियान्वयन के लिए मंत्री, प्रबन्धक अथवा अन्य कर्मचारी और पदाधिकारी नियुक्त करने और उन्हें वेतन/मानदेय देने और उनके विरुद्ध अनुशासनिक वेतन/मानदेय देने और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

ञ- यह कि न्यास के उचित प्रबन्धन, नियंत्रण, संचालन और प्रशासन के लिए तथा न्यास निधि और न्यास सम्पत्ति और उनसे सम्बन्धित और अनुसंगिक सभी कार्यों को करने का सामान्य अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

12. यह कि न्यासी मण्डल को मुख्य न्यासी को को छोड़कर अन्य किसी भी न्यासी को न्यास मण्डल से हटाने का अधिकार होगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से न्यास का कार्य करने के अयोग्य हो गया हो अथवा न्यास के हितों के विरुद्ध कार्यकर रहा हो अथवा न्यास या न्यासी निधि । और न्यास सम्पत्ति को अपने कार्य व्यवहार और आचरण से क्षति कार्यरत कर रहा हो।

13. यह कि न्यासी अपने हस्ताक्षर से न्यासी के रूप में न्यास मण्डल से त्याग पत्र दे सकता है जो न्यासी मण्डल की स्वीकृति के दिन से प्रभावी होगा तथा मुख्य न्यासी को अपना उत्तराधिकारी मुख्य न्यासी के रूप में उसका संतान का अधिकार होगा।

14. यह कि मुख्य न्यासी को न्यास के प्रबन्धन का न्यास निधि और न्यास सम्पत्ति और उसके कार्यों के पूर्ण प्रबन्धन का उचित और आवश्यक सभी अधिकार होगा।

15. यह कि न्यासी मण्डल की सभी बैठकों की अध्यक्षता मुख्य न्यासी द्वारा की जायेगा और न्यासी

Shash

मण्डल की बैठक स्वयं मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के लिखित आदेश पर किसी भी न्यासी को बुलाने का अधिकार होगा।

16. यह कि न्यासी मण्डल की आवश्यक बैठक तीन दिनों की नोटिस पर और सामान्य बैठक 10 दिनों की नोटिस पर बुलाई जा सकेगी और नोटिस लिखित निर्गत की जायेगी।

17. यह कि मुख्य न्यासी और न्यासी मण्डल के अन्य 2/3 न्यासीयों की उपस्थिति न्यासी मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति का काम करेगी।

18. यह कि न्यासी मण्डल की बैठक की कार्यवाही मुख्य न्यासी द्वारा अथवा उसके लिखित निर्देश पर न्यासी मण्डल के किसी अन्य न्यासी द्वारा कार्यवाही पंजिका में स्पष्ट और हिन्दी देवनगरी लिपि में लिखी जायेगी जिस पर मुख्य न्यासी और लेखक के हस्ताक्षर होंगे। यदि कोई भूल त्रुटि और गलती कार्यवाही में दिखायी पड़ती है तो उसके पश्चात की दूसरी बैठक में उसे पुष्ट करने के पूर्व शुद्ध किया जायेगा।

19. यह कि इस न्यास के सम्बन्ध में कुल कार्यवाही करने का अधिकार बहुमत के आधार पर न्यासी मण्डल में होगा किन्तु न्यासी मण्डल के किसी भी प्रस्ताव को न्यासहित में प्रति नियोजित करने और अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

20. यह कि न्यास के सभी खाते और आय-व्यय से सम्बन्धित विवरण प्रत्येक वर्ष के अप्रैल की पहली तिथि से आरम्भ होकर उसके पश्चात आने वाले 31 मार्च तक बंद किये जायेंगे।

21. यह कि उपरोक्त नियुक्त न्यासी मण्डल और मुख्य न्यासी ने इस न्याय में अपने नामांकन और नियुक्ति को और न्यास को और न्यास निधि को और इस नियमावली को अंगीकृत और स्वीकृत करके हस्ताक्षरित किया है और न्यासीमण्डल को इस न्यास नियमावली में यथा आवश्यकता संशोधन, परिवर्तन करने तथ्यों को जोड़ने और हटाने का अधिकार बहुमत से होगा किन्तु उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति मुख्य न्यासी के अधिकार में होगी।

टाइपकर्ता - धर्मेन्द्र यादव
दि० 26.7.11

Sukey

अशोक कुमार सिंह S/O स्व० रामभजन सिंह
ग्रा० फिरोजाबाद प० हवेली त० सदर जौनपुर

राम अजोर चौहान S/O स्व० रामपति
ग्रा० पतहना प० हवेली त० सदर
जौनपुर

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 धारा 32 ए0 के अनुपालन हेतू
फिंगर प्रिन्ट्स

विक्रेता–

1–	नि0 अ0 बायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
	नि0 अ0 दायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
2–	नि0 अ0 बायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
	नि0 अ0 दायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
3–	नि0 अ0 बायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
	नि0 अ0 दायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
4–	नि0 अ0 बायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
	नि0 अ0 दायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका

आज दिनांक **26/07/2011** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **2**

पृष्ठ सं. [illegible] से **292** पर क्रमांक **95**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम अवधलाल सिंह)

उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर

26/7/2011